

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

तत्काल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 19 -67/2012/1/4:: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने व मतदाताओं को जागरूक करने हेतु स्वीप प्लान लागू किया गया है। इस राष्ट्रीय कार्य में सभी सम्बन्धित विभागों की भागीदारी सुनिश्चित करने के आशय से स्वीप प्लान योजना 2013 के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार स्टेट लेवल कमेटी का गठन किया जाता है:-

- | | |
|---|------------|
| 1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश | अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश | संयोजक |
| 3. केन्द्र निदेशक दूरदर्शन भोपाल | सदस्य |
| 4. केन्द्र निदेशक आकाशवाणी | सदस्य |
| 5. मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल भोपाल | सदस्य |
| 6. लीड अधिकारी सेन्ट्रल बैंक | सदस्य |
| 7. मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार विभाग भोपाल | सदस्य |
| 8. आयुक्त जनसंपर्क मध्यप्रदेश | सदस्य |
| 9. संयुक्त निदेशक, पी.आई.बी. म.प्र. भोपाल | सदस्य |
| 10. निदेश स्वराज संस्थाएँ म.प्र. शाखा | सदस्य |
| 11. कुलपति भोपाल विश्वविद्यालय | सदस्य |
| 12. उपायुक्त केन्द्रिय विद्यालय भोपाल | सदस्य |
| 13. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग | सदस्य |
| 14. उपायुक्त भवोदय विद्यालय भोपाल | सदस्य |
| 15. आयुक्त, महिला बाल विकास विभाग | सदस्य |
| 16. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग | सदस्य |
| 17. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग | सदस्य |
| 18. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | सदस्य |
| 19. संचालक, तकनीकी शिक्षा विभाग भोपाल | सदस्य |
| 20. सचिव रेडक्रास सोसायटी | सदस्य |
| 21. राज्य संयोजक / एन.वाय.के. / एन.सी.सी. / स्काउट गाईड / एन.एस.एस. | सदस्य सचिव |

निरन्तर-2

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 19 -67/2012/1/4: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने व मतदाताओं को जागरूक करने हेतु स्वीप प्लान लागू किया गया है। इस राष्ट्रीय कार्य में सभी सम्बन्धित विभागों की भागीदारी सुनिश्चित करने के आशय से स्वीप प्लान योजना 2013 के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा भिन्नानुसार स्टेट लेवल कमेटी का गठन किया जाता है-

- | | |
|---|------------|
| 1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश | अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश | संयोजक |
| 3. केन्द्र निदेशक दूरदर्शन भोपाल | सदस्य |
| 4. केन्द्र निदेशक आकाशवाणी | सदस्य |
| 5. मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल भोपाल | सदस्य |
| 6. लीड अधिकारी सेन्ट्रल बैंक | सदस्य |
| 7. मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार विभाग भोपाल | सदस्य |
| 8. आयुक्त जनसंपर्क मध्यप्रदेश | सदस्य |
| 9. संयुक्त निदेशक, पी.आई.बी. म.प्र. भोपाल | सदस्य |
| 10. निदेश स्वराज संस्थाएँ म.प्र. शाखा | सदस्य |
| 11. कुलपति भोपाल विश्वविद्यालय | सदस्य |
| 12. उपायुक्त केन्द्रिय विद्यालय भोपाल | सदस्य |
| 13. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग | सदस्य |
| 14. उपायुक्त भवोदय विद्यालय भोपाल | सदस्य |
| 15. आयुक्त, महिला बाल विकास विभाग | सदस्य |
| 16. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग | सदस्य |
| 17. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग | सदस्य |
| 18. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | सदस्य |
| 19. संचालक, तकनीकी शिक्षा विभाग भोपाल | सदस्य |
| 20. सचिव रेडक्रास सोसायटी | सदस्य |
| 21. राज्य संयोजक / एन.वाय.के. / एन.सी.सी. / स्काउट गाईड / एन.एस.एस. | सदस्य सचिव |

निरन्तर-2

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

वेगमडे

तत्काल

क्रमांक एफ-19-65/2012/1/4.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषय:-

दिनांक 01.01.2013 की अर्हता तिथि के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण 2013- स्वीप प्लान योजना के आयोग के निर्देश के संबंध में ।

उपरोक्त विषयक विभाग के पत्र क्रमांक 1558/2012/1/चार, दिनांक 21.05.2012 द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के जारी पत्र क्रमांक 491/SVEEP/2012(SR), दिनांक 7.5.2012 की प्रति भेजकर मतदाताओं के नाम शत-प्रतिशत जोड़ने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने एवं राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान को सघन रूप से आयोजित कर अधिक से अधिक मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रदेश में जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लगभग 40 लाख मतदाताओं के नाम छूटे हुए हैं, जिसमें 01 जनवरी 2012 को 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके लगभग 25 लाख मतदाता हैं।

अतः आपसे इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में सहयोग की पुनः अपेक्षा की जाती है। कृपया की गई कार्यवाही से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय म0प्र0 भोपाल को अवगत कराने का कष्ट करें।

SO ER

(सुदेश कुमार)

प्रमुख सचिव


मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2012

क्रमांक एफ-19-65/2012/1/4.
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
2. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल ।



बेटी है तो कल है

निम्न-2